परियोजना का नामः– उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा ग्राम बंसीवाला, धूलकोट, तहसील सहसपुर में निर्माणाधीन ग्राफिक एरा अस्पताल के लिए 11 KV की विद्युत लाईन ले जाना।

प्रपत्र–21

ग्राम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त भूमि ग्राम समाज की भूमि नहीं है।

ह0/–

ग्राम प्रधान/सरपंच
की मोहर

परियोजना का नामः– उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा ग्राम बंसीवाला, धूलकोट, तहसील सहसपुर में निर्माणाधीन ग्राफिक एरा अस्पताल के लिए 11 KV की विद्युत लाईन ले जाना।

प्रपत्र–22

Cost Benefit Ratio Chart

Block:-Jhajhra **District:- Dehradun.**

SL. No.	Particulars	Amount in lakhs	Remark
1	Total cost (Investment incurred)		
(A)	Construction Cost of the Project		
(B)	N.P.V. Amount to be deposited @ --- lakh /Ha		
(D)	Substitule/Alternative Planlation Cost to be Deposited:-		
	Total		
2	Benefits:- Benefits from taking age of road as 50 Years		
(A)	Economic Benefits-Market Development Taking		
(B)	Direct Employment of Labours-		
(C)	Employment Generation Due to other activities		
(E)	Therefore construction of Economically Viable and social beneficial.		

यह परियोजना राष्ट्र एवं राज्य हित में है। अतः इसमें लागत लाभ विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।

ह0/–

प्रयोक्ता एजेन्सी
अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
मोहनपुर, देहरादून

परियोजना का नाम :– उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा ग्राम बंसीवाला, धूलकोट, तहसील सहसपुर में निर्माणाधीन ग्राफिक एरा अस्पताल के लिए 11 KV की विद्युत लाईन ले जाना।

प्रपत्र–23

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का ग्राम बंसीवाला/ धूलकोट
तहसील विकासनगर, जिला देहरादून।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा विद्युत लाईन निर्माण हेतु (.0090 है0 आरक्षित/संरक्षित वन भूमि, .0090 X—— है0 सिविल सोयम भूमि.... X......... है0, वन पंचायत भूमि——X—— है0) अर्थात कुल .0090 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विशय में ग्राम पंचायत धूलकोट द्वारा दिनांक 02/10/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धूलकोट के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/–	ह0/– (प्रधान ग्राम सभा धूलकोट, वि0 ख0 सहसपुर, देहरादून; दि0 2/10/2021)
ग्राम सचिव	ग्राम प्रधान

परियोजना का नामः— उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा ग्राम बंसीवाला, धूलकोट, तहसील सहसपुर में निर्माणाधीन ग्राफिक एरा अस्पताल के लिए **11 KV** की विद्युत लाईन ले जाना।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 02/10/2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत बंसीवाला/धूलकोट

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मंगल सिंह.	मंगल सिंह
2	किशोर राणा	किशोर.
3	गोपाल कुमार	Gopal K.
4	सुल्तान सिंह.	Sultan
5	यशवन्त सिंह.	यशवन्त.
6	राजेन्द्र सिंह.	R Singh.
7	हरीश चन्द्र पंवार	Harish
8	कुन्दन सिंह.	कुन्दन

मेरे संज्ञान में है कि उक्त भूमि पर कोई आबादी/घर नहीं है।

ह0/— (प्रधान ग्राम सभा धूलकोट, ह0 ..., दि0 2/10/2021, वि0 ख0 सहसपुर, देहरादून)

ग्राम प्रधान

परियोजना का नामः– उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा ग्राम बंसीवाला, धूलकोट, तहसील सहसपुर में निर्माणाधीन ग्राफिक एरा अस्पताल के लिए 11 KV की विद्युत लाईन ले जाना।

प्रपत्र–23.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी, ———————
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, ——————

उपखण्ड धूलकोट कक्ष 2. परिक्षेत्र के अन्तर्गत ———————————————— (———है0 आरक्षित वन भूमि, —— है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि ....है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.0090 है0 वन भूमि) का उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील विकासनगर) की दिनांक 09/11/2021 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विनोद कुमार, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री विनोद कुमार —उपजिलाधिकारी ——— [signature] उपजिलाधिकारी ——अध्यक्ष
2– श्री लाखन सिंह पंवार उप प्रभागीय वनाधिकारी————विकासनगर ——सदस्य [signature]
3– श्री मति आँचल उनियाल —सहायक समाज कल्याण अधिकारी— सहसपुर —सदस्य/सचिव
4– श्री राजीव पंवार —बी0डी0सी0 क्षेत्र ———————————— सदस्य

[stamps: उप प्रभागीय वनाधिकारी ... वन प्रभाग; सहायक समाज कल्याण अधिकारी, सहसपुर (देहरादून)]

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ——परियोजना हेतु 0.009 है0 वन भूमि उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन ——————— प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, श्री लाखन सिंह द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं

किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड चूला कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन परियोजना के निर्माण हेतु 0.0090 है0 वन भूमि ....V......प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– उपजिलाधिकारी
जनपद विकासनगर

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील उपजिलाधिकारी
जनपद विकासनगर

परियोजना का नामः– उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा ग्राम बंसीवाला, धूलकोट, तहसील सहसपुर में निर्माणाधीन ग्राफिक एरा अस्पताल के लिए 11 KV की विद्युत लाईन ले जाना।

प्रपत्र–23.3

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद देहरादून के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा ग्राम बंसीवाला, धूलकोट,कक्ष–2, तहसील सहसपुर में विद्युत लाईन ले जाने हेतु .0090 है0 वन भूमि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति दिनांकः 09/11/2021..... तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

ह0/–

जिलाधिकारी

जिलाधिकारी
देहरादून।

परियोजना का नामः– उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा ग्राम बंसीवाला, धूलकोट, तहसील सहसपुर में निर्माणाधीन ग्राफिक एरा अस्पताल के लिए 11 KV की विद्युत लाईन ले जाना।

प्रपत्र–23.4

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद देहरादून के अन्तर्गत प्रस्तावित उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा ग्राम बंसीवाला, धूलकोट,कक्ष–2, तहसील सहसपुर में विद्युत लाईन ले जाने हेतु 0.0090 है0 वन भूमि उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा–सड़क, नहर, पारेषण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नही हो रहे हैं।

ह0/–

जिलाधिकारी

जिलाधिकारी
देहरादून।